फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 20.04.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में मार्च, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ मार्च, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का मार्च, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. **संसद में विधायी कार्य**

बजट सत्र, 2021:-

राज्य सभा और लोक सभा जिनको क्रमश: शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 और शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को मध्यावकाश के लिए स्थगित कर दिया गया था, ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपनी रिपोर्ट दे सकें, सोमवार 8 मार्च, 2021 को सत्र के दूसरे भाग के लिए पुन: समवेत हुई।

सत्र मूल रूप से 8 अप्रैल, 2021 तक बैठने के लिए निर्धारित था परंतु दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग के कारण इसे 25 मार्च, 2021 को समाप्त कर दिया गया ताकि सदस्य कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें।

सत्र के दूसरे भाग के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा की 12-12 बैठकें हुई।

लोक सभा में, रेल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात मंत्रालयों/विभागों की शेष अनुदान मांगों को बुधवार, 17 मार्च, 2021 को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया। लोक सभा में दिनांक 17.3.2021 को संबंधित विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों; जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों और वर्ष 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों और वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों (लेखानुदान) को स्वीकार किए जाने के पश्चात उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में दिनांक 18.3.2021 को पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2021 लोक सभा द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पारित किया गया। राज्य सभा ने भी सभी विनियोग विधेयकों को दिनांक 23.03.2021 को और वित्त विधेयक, 2021 को दिनांक 24.03.2021 को वापस लौटा दिया। इस प्रकार पूरा वित्तीय कार्य संसद के दोनों सदनों में 31 मार्च, 2021 से पहले पूरा कर लिया गया।

बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान कुल 14 विधेयक (13 लोक सभा में और 01 राज्य सभा में) पुरस्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 16 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 16 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 16 है। पूरी सूची अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक

संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने गुरूवार, 25 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में:-

i. निर्णय लिया कि गुरूवार, 25 मार्च, 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए गए 17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र (बजट सत्र, 2021) और राज्य सभा के 253वें सत्र का अवसान कर दिया जाए।

ii. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, उनको इस प्रयोजन के लिए प्रत्यायोजित की गई संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की शक्तियों के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का "विरोध किए जाने या संबंधित सदस्य को विधेयक/संकल्प वापस लेने का अनुरोध करने/मनाने और ऐसा न करने पर उसका विरोध करने/समर्थन नहीं करने" के सरकार के रूख को 2021 के मंत्रिमंडल नोट संख्या 3 के साथ अनुमोदित किया।

सदनों का सत्रावसान करने के संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के बारे में लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को सूचित किया गया और सदनों का 29 मार्च, 2021 को सत्रावसान किया गया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस

बजट सत्र, 2021 के समाप्त होने पर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों राज्य मंत्रियों सहित 25.03.2021 को सत्र के पश्चात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।

2. **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से मार्च, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 96690 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 56844 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1611 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 838 आश्वासन लंबित हैं।

मार्च, 2021 मास के दौरान, 60 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 50 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

मार्च, 2021 मास के दौरान, लोक सभा में 159 कार्यान्वयन प्रतिवेदन और राज्य सभा में 35 कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभापटल पर रखे गए।

3. **लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

मार्च, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
1 मार्च को लंबित मामले	230	226
मार्च मास के दौरान उठाए गए मामले	226	72
मार्च मास के दौरान लंबित मामले	456	298
मार्च के दौरान प्राप्त उत्तर	112	16
शेष मामले	344	282

4. **परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन**

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

मार्च, 2021 मास के दौरान:-

(क) परामर्शदात्री समितियों की आठ बैठकें आयोजित की गई।

(ख) विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से चार सदस्यों के नाम का, उनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के पश्चात विलोप किया गया।

(ग) तीन सदस्यों को सरकार द्वारा विभिन्न समितियों/बोर्डों/आयोगों पर नामित किया गया।

उपरोक्त विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

5. **<u>डिजिटल शासन – ई-ऑफिस का कार्यान्वयन</u>**

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्तूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभगों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुन:प्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

मार्च, 2021 के दौरान अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 1678 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गई।

6. **<u>युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना</u>**

मार्च, 2021 मास के दौरान, राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 520 विद्यालयों के पंजीकरण समीक्षा की गई और इनमें से 244 पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया।

7. **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन**

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

मार्च, 2021 माह तक, नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर 15 राज्यों (16 सदनों) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें शामिल हैं बिहार (विधानसभा और परिषद), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 8 राज्यों (9 सदनों) द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है जिनमें पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और परिषद), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु और अरूणाचल प्रदेश शामिल है जिनमें से नेवा के कार्यान्वयन के लिए 7 राज्यों (8 सदनों) को पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

मार्च, 2021 के दौरान –

i. ओडिशा विधानसभा के विभिन्न अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 2 मार्च, 2021 को सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा समिति मॉड्यूल्स पर एक नेवा ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। ओडिशा के लिए 16 मार्च, 2021 को प्रश्न मॉड्यूल्स पर भी एक ऐसी ही कार्यशाला आयोजित की गई।

ii. 12 मार्च, 2021 को अपर मुख्य सचिव (आईटी), तमिलनाडु सरकार और सचिव, तमिलनाडु विधानसभा ने तमिलनाडु में नेवा के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और अन्य अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए संसद भवन का दौरा किया।

iii. 22 मार्च, 2021 को अपराह्न 4.00 बजे, तमिलनाडु, मणिपुर और सिक्किम राज्यों में नेवा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित करने और नेवा कार्यान्वयन हेतु मंजूरी देने के लिए डॉ. आर.एस. शुक्ल, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की अधिकार प्राप्त समिति की तीसरी बैठक आभासी माध्यम से आयोजित की गई।

iv. 23 मार्च, 2021 को तपोवन, हिमाचल प्रदेश में ई-विधान के कार्यान्वयन के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

v. तमिलनाडु विधानसभा के अधिकारियों के प्रशिक्षणार्थ 24 मार्च, 2021 को सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा एक नेवा ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तमिलनाडु विधानसभा के अधिकारियों को नेवा के विभिन्न माड्यूल्स की सामान्य रूपरेखा के बारे में बताया गया।

४. सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पंजीकृत अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1752 ट्वीट्स के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल https://twitter.com/mpa.india के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 4542 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 37614 हो गई है।

सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र और राज्य सभा के 253वें सत्र के दौरान निष्पादित विधायी कार्य (मार्च, 2021)

I – लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021
2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
3. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
5. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
6. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
7. विनियोग विधेयक, 2021
8. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
9. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
10. पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
11. पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
12. राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021
13. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

II – राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021

III – लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
3. विनियोग विधेयक, 2021
4. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
5. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
6. पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
7. पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
8. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
9. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
10. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
11. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021
12. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
13. वित्त विधेयक, 2021
14. राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021
15. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2021
16. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

IV – राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
2. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019
3. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020
4. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2021
5. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
7. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
8. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021

9. विनियोग विधेयक, 2021
10. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
11. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
12. पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
13. पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
14. वित्त विधेयक, 2021
15. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021
16. राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021

v – संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021
2. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
3. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020
4. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
5. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
6. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
7. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
8. विनियोग विधेयक, 2021
9. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
10. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
11. पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
12. पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
13. वित्त विधेयक, 2021
14. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021
15. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2021
16. राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021

अनुबंध-II

मार्च, 2021 के दौरान परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, तारीख और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/अभ्युक्ति
1	सोमवार, 1 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	सूचना और प्रसारण	प्रसारण में नई प्रौद्योगिकी	समिति कक्ष-डी, संसदीय सौध, नई दिल्ली
2	मंगलवार, 2 मार्च, 2021 को अपराह्न 3.00 बजे	भारी उद्योग और लोक उद्यम	ई-मोबिलिटी	समिति कक्ष-ई, संसदीय सौध, नई दिल्ली
3	मंगलवार, 2 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	श्रम और रोजगार	खदान कार्मिकों की सुरक्षा	समिति कक्ष-ई, संसदीय सौध, नई दिल्ली
4	मंगलवार, 2 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	ईको-टूरिज्म का संवर्धन	समिति कक्ष-सी, संसदीय सौध, नई दिल्ली
5	बुधवार, 3 मार्च, 2021 को अपराह्न 2.00 बजे	विद्युत	प्रस्तावित सुधार	समिति कक्ष-डी, संसदीय सौध, नई दिल्ली
6	बुधवार, 12 मार्च, 2021 को अपराह्न 2.30 बजे	गृह	उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शांति के प्रयास	समिति कक्ष-डी, संसदीय सौध, नई दिल्ली

7	मंगलवार, 16 मार्च, 2021 को अपराह्न 6.30 बजे	रसायन और उर्वरक	मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में शासन को मजबूत करना	समिति कक्ष-बी, संसदीय सौध, नई दिल्ली
8	बुधवार, 24 मार्च, 2021 को अपराह्न 6.00 बजे	वाणिज्य और उद्योग	भारत में विनिर्माण आधार को मजबूत करना	समिति कक्ष-डी, संसदीय सौध, नई दिल्ली

उन सदस्यों का विवरण जिनके नामों का मार्च, 2021 के दौरान उनकी सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के पश्चात विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से विलोप किया गया है

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति जिन पर वे नामित थे	कारण
1	श्री नंद कुमार सिंह चौहान, संसद सदस्य (लोक सभा)	विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	02.03.2021 को निधन होने के कारण
2	श्री राम स्वरूप शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा)	विदेश मंत्रालय	17.03.2021 को निधन होने के कारण
3	श्री मोहन एस. देलकर, संसद सदस्य (लोक सभा)	गृह मंत्रालय	22.02.2021 को निधन होने के कारण
4	श्री स्वपन दासगुप्ता, संसद सदस्य (राज्य सभा)	शिक्षा मंत्रालय	17.03.2021 को त्यागपत्र देने के कारण

उन संसद सदस्यों का विवरण जिन्हें मार्च, 2021 मास के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों पर नामित किया गया

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति जिस पर नामित किया गया है	अभ्युक्ति
1	श्री अरूण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)	वित्त मंत्रालय	सदस्य
2	श्री रामभाई हर□□भाई मोकरिया, संसद सदस्य (राज्य सभा)	वित्त मंत्रालय	सदस्य
3	श्री दिनेश□□□□□ जेम□भाई अ□□□□□□□□, संसद सदस्य (राज्य सभा)	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	सदस्य